erosion of democratic norms in India. In its 2024 report, V-Dem went so far as to call India one of the worst autocratizers in the world.

Sir, our Constitution envisions a federal structure where the Centre and the States work as equal partners. Yet, under this Government's rule, federalism has been systematically undermined. A large portion of financial resources has been transferred outside the ambit of Finance Commission giving the Centre undue control and leaving the State at its mercy. Sir, the centralization of financial powers undermines the spirit of cooperative federalism enshrined in India's Constitution and, moreover, violates the spirit of Article 275, which mandates financial aid to States to ensure balanced development.

Sir, a democracy without a free Press is like a body without a soul. Yet, under this Government, the Press has been systematically cowed into submission.

Hon. Deputy Chairman, Sir, the Constitution is not just a document. It is a promise, a promise to protect the weak, to empower the marginalized and to uphold justice for all. The Government, through its policies and actions, has broken this promise. It has failed the Constitution and, by extension, the people of this great nation. To the ruling party, I say this -- the people of India have spoken. It is time to listen, to reflect and to change course. Thank you, Sir.

MESSAGE FROM LOK SABHA

Appropriation (No.3) Bill, 2024.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 17th December, 2024 passed the Appropriation (No.3) Bill, 2024.

The Speaker has certified that the Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution.

Sir, I lay a copy of the said Bill on the Table.

DISCUSSION ON THE "GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF THE CONSTITUTION OF INDIA "- *Contd.*

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव जी।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत थोड़े वक्त में ही बोलूंगा।

श्री उपसभापति: मालूम है, आपके पास 3 मिनट का समय है। वैसे भी आप कम बोलते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं इतने समय में ही अपनी बात कह दूँगा। यह जो यात्रा है, वैसे तो इतने कम समय में 100 मीटर की रेस दौड़ कर तब उस तरफ तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ, संविधान एक रास्ता था। जब संविधान बना, बाबा साहेब अम्बेडकर कमिटी के चेयरमैन थे, राजेन्द्र बाबू अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान बनाया, तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बना। वे सब लोग, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जब यह लागू हुआ, तो कुछ कानून बने। बिहार का Land Reforms Act, उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन विधेयक, आप जानते हैं कि कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार स्टेट में वह रद्द कर दिया गया। पंडित नेहरू ने लोक सभा में कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होंगे, then haves will remain haves and have-nots will remain have-nots. उसके बाद first amendment आया, challenge हुआ, शंकरी प्रसाद केस में उसको valid माना गया। यह मामला चलता रहा। आगे फिर कोई एक केस आया, सज्जन सिंह केस में भी first amendment को valid करार दिया गया। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस में पूरी व्यवस्था बदल दी गई। उन्होंने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई हक नहीं। इसके बाद जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, privy purses खत्म किए, तो इसी फैसले के आधार पर दोनों रद्द कर दिए गए। तब 1971 में 3 संशोधन हुए – 24वाँ, 25वाँ और 26वाँ। 24वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। 26वें संशोधन में compensation का विषय था। असली झगड़े की जड़ यह थी कि सम्पत्ति के मौलिक अधिकार में, Article 31 में यह लिखा हुआ था कि बिना उचित मुआवजे के किसी की सम्पत्ति को नहीं लिया जा सकता है। उस compensation शब्द को 26वें संविधान संशोधन के जरिए amount में बदल दिया गया। उस वक्त भी जस्टिस एस.एम. सीकरी ने यह कहा था कि अगर amount nominal होगा, यदि आप कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति को अधिगृहीत करेंगे, तो that will be a farce on the part of the Government. उसके बाद जगमोहनलाल सिन्हा का जजमेंट आ गया, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में सारे अधिकार छीन लिए गए। कांग्रेस को उसका दंड भी भोगना पड़ा। 1977 के चुनाव में वह पूरे उत्तर भारत में हार गई। मैं एक चीज यह कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी को इंदिरा जी ने ही हटाया था। उसे न तो हमने हटाया और न ही आपने हटाया। ...(**समय की घंटी**)... अब देश में अघोषित इमरजेंसी है।

1978 में 44वें संशोधन के जरिए, संविधान में जो विकृतियाँ 42वें संविधान संशोधन के जरिए हुई थीं, वे खत्म कर दी गईं। केवल नागरिकों के कर्तव्य और प्रस्तावना में कुछ संशोधन जो हुए थे, उनको बरकरार रखा गया। उसमें Socialist और Secular शब्द जोड़े गए थे। Unity के आगे Integrity और कुछ अन्य संशोधन भी हुए थे। लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि ये Socialist और Secular शब्द कहाँ से चुपके से घुसेड़ दिए गए? इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तब

जनता पार्टी की सरकार थी। उसी ने यह स्वीकार किया। उसमें आपके और देश के दो सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, सम्मानित नेता, बहुत important Ministers थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और माननीय आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये दोनों उनमें शामिल थे, जिन्होंने इसको retain किया। ...(**समय की घंटी**)... तो यह कहना कि यह चुपके से आ गया, Secular शब्द आ गया, Socialist शब्द आ गया, यह कहना बेमानी है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

1980 में जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ उस वक्त चीफ जस्टिस थे। वे इन चंद्रचूड़ जी के पिताजी थे। एक मामला आया, तो उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर जी की 'आमार सोनार बांग्ला' के आधार पर, उसको क्वोट करते हुए कहा कि इस देश के संविधान के 3 Articles – 14, 19 और 21, ये golden triangle है। अगर इनमें से कोई एक में भी गड़बड़ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ...(**समय की घंटी**)... अब आप देखिए कि समता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सब समान हैं। व्यवहार में..

श्री उपसभापतिः प्रोफेसर साहब, अब आप कन्क्लूड करें।

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मुझे बस एक मिनट लगेगा।

श्री उपसभापतिः आपको ऑलरेडी 6 मिनट हो गए हैं। आपका 3 मिनट का समय था, लेकिन आप 6 मिनट बोल चुके हैं।

प्रो. राम गोपाल यादवः असली बात तो रह ही गई। ...(**व्यवधान**)... हमारे देश हिन्दुस्तान के जो सबसे बड़े राज्य हैं, उनमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। सच बात तो यह है। सम्भल में जिस तरह से लोगों को मारा गया - Article 21 में क्या लिखा हुआ है – जीवन को बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के नहीं लिया जा सकता। ...(**समय की घंटी**)... वहाँ लोगों को मारा गया। उनको जेल में मारा गया और पुलिस कस्टडी में मारा गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्रोफेसर साहब, प्लीज़ खत्म कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, ...(**व्यवधान**)... चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः अब आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... ठीक है, मैं अब खत्म कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

मैं यह कह रहा हूँ कि जब कृष्ण जाने को थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया है। उन्होंने बलदेव से कहा कि आप चलिए, हम लोगों को जो करना था, कर दिया। उन्होंने अर्जुन से

कहा कि यह द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए यहाँ की महिलाओं को हस्तिनापुर ले जाओ। वे उनको लेकर चले। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः अब आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः वहाँ भील थे। ...(**व्यवधान**)... अभी बन्द मत कीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... छोटा सा sentence है। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। तब फिर क्या कहा गया? लोग क्या कहते हैं? लोग अब भी कहते हैं कि :

"मनुज नहीं बलवान है, समय बड़ा बलवान,
भीलां लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण।"

श्री उपसभापतिः श्रीमती महुआ माजी, 7 मिनट। ...(**व्यवधान**)... प्रोफेसर साहब, आपके 7-8 मिनट हो चुके हैं। प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती महुआ माजी, आप बोलिए।

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): उपसभापति महोदय, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस देश की जनता केंद्र सरकार से संविधान की रक्षा की उम्मीद करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने secularism, unity, integrity की बात की है। बुद्ध सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ थे। Communism, socialism में भी सामाजिक बराबरी की बात की गई है। कबीर दास, संत रविदास, कांशीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे तमाम मनीषियों के प्रयासों की अनदेखी करके वर्तमान केंद्र सरकार ने भाजपा के नेताओं द्वारा चुनाव के वक्त देश के विभिन्न राज्यों में 'बँटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक नारे के साथ घोले जा रहे जहर को फैलाने से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया?...(**व्यवधान**)... इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने विभिन्न राज्यों से आकर जनता के बीच 'बँटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक नारे दिए, हिंदू-मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोला, 'बँटोगे-कटोगे' का पोस्टर चिपकाया, पैंफ्लेट बांटे, अपने कैडर्स को 'बँटोगे-कटोगे' लिखा हुआ टी-शर्ट पहना कर वोटिंग के समय गलियों में वोटरों के सामने से मार्च करवाया, सोशल मीडिया में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली कई वीडियोज़ वायरल किये। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, जो बड़े-बड़े नेता थे, जो झारखंड में गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उनको भी लेकर तरह-तरह के वीडियोज़ बनाए गए और इस तरह से सांप्रदायिक मुद्दों को भड़का कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। क्या यही संविधान के प्रति रूलिंग पार्टी का सम्मान है?

प्रधान मंत्री जी ने संविधान पर अपने वक्तव्य में कहा, हम लोकतंत्र की जननी हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी लोकतंत्र और अम्बेडकर का सम्मान कर रही है? यह देश अनेकता में एकता का देश है, बहुरंगी संस्कृति का देश है, क्योंकि यहां Dutch, Turkey, Portuguese, French, Mughal, पठान, अंग्रेज आदि विभिन्न संस्कृति के लोग आते रहे हैं। सदियों से उन्होंने यहां के स्थापत्य कला, साहित्य संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेशभूषा, शिक्षा-दीक्षा, भाषा-बोली जैसे हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। बहुत सारे लोग कई पीढियों से यहीं के होकर रह गए हैं। हमने और आपने उनसे बहुत सारी चीजें जाने-अनजाने

ग्रहण कर ली हैं। अब हम उनके योगदान को नकारने या खारिज करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हैं। जब हमारे पुरखों ने, संविधान निर्माताओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो भाजपा कौन होती है उन्हें आपस में लड़ाने वाली या खारिज करने वाली? सरकारी तंत्र उन्हें प्रश्रय क्यों दे रहा है? जनता द्वारा चुने हुए झारखंड के लोकप्रिय आदिवासी मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी को लोक सभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा बिना किसी सबूत के जेल में डाला गया। 5 महीने तक वे जेल में रहे। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा कि जब ईडी कोई सबूत ही नहीं दे पाई है, तो उन्हें बेल मिलनी चाहिए और उन्हें बेल मिली। विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा लगभग हर राज्य में किया जा रहा है। इस प्रकार से यह सरकार संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हनन कर रही है। क्या ऐसी सरकार को Glorious Journey of 75 Years of Constitution of India को सेलिब्रेट करने का हक है?...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mahuaji, please conclude.

श्रीमती महुआ माजी: सर, संविधान में भारत में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई है। वर्तमान केंद्र सरकार आदिवासी की बात तो करती है, लेकिन आदिवासियों के हित में कुछ करने से कतराती है। हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुडुख, मुंडारी आदि महत्वपूर्ण आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने हेतु झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से मांग की। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mahuaji, please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती महुआ माजी: सर, सरना धर्म कोड, 1936... खतियान आधारित स्थानीय नीति...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy. You have five minutes. ...*(Interruptions)*... Mahuaji, it is not going on record.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, coming from Hyderabad, we have a special attachment and gratitude towards the Constitution of India on how it helped, guided and inspired us. I would like to take this opportunity to refresh the memory of the House on how it guided and helped us.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

Sir, when India became independent with 560-plus Princely States, Hyderabad was one of the few States which could not be part of the jubilation and celebration

which happened then. It took us one year, one month and two days to become part of the Indian Union. And, in that one year and one month of struggle, it was the struggle of the entire people of Hyderabad State, who stood like a rock, who wanted to be part of the freedom and who fought for the freedom and eventually attained it. We compelled the Government of India for a police action, and, through the Government of India's intervention of police action, Hyderabad became part of the Union of India and we became part of Article 1. While our journey continues through Article 1, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to remind the House that if I stand here, and say that I, K.R. Suresh Reddy, Member of the BRS Party, coming from the State of Telangana, it is because of Article 3. It is because of Article 3, I stand here as a Member from Telangana State. To achieve the Statehood, there was a struggle led by our leader KCR ji for 13 long years. It was a struggle to attain a separate Statehood and it was only possible after so many lives were lost. The entire *samaj*, be it the Government employees, be it the women, be it the youth and everyone, came together to awaken the Government of India and pressurize them. Of course, we thank both the national parties, the Congress and the BJP that they could sense the feelings of the people, and, again, thanks to Article 3 that we stand here as Members of this august House. Sir, we acknowledged and we did not leave the dreams there. Hon. Member spoke of prophets of doom and said, when India was created, how they spelt doom for India. Similarly, when Telangana attained Statehood, similar expressions were expressed and it was said that Telangana will not prosper, Telangana will not have power, Telangana will not have electricity, and Telangana will not be able to contain the opportunities given. But, thanks to the Constitution of India and the Directive Principles enshrined in it, which guided my leader KCR Garu, from a region which was the most backward, in a matter of 10 years, today, we could become one of the most progressive States. When Telangana was under the Nizam's rule, the ruler was the richest person in the world and in the ten years after we attained the statehood, we made the people of Telangana one of the richest in the country. Again, thanks to the Constitution, thanks to the Directive Principles.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to give a small example of our journey. *…(Interruptions)…* Article 38 speaks about the distribution of wealth and equal opportunities. It was so well established under the leadership of KCR ji in Telangana that we became number one State with highest per capita income in the country. This gives us a message that if the Constitution inspires you and if the leadership has got the ability, definitely, we can attain this and we have proved it. Not only did we prove ourselves by making Telangana number one State with highest per capita income and but we are also contributing to the GDP of the country also and this

expresses our nationalism. As far as our contribution to GDP is concerned, we have given almost 4 percent, and, now, we have gone up to 4.8 per cent. We did not limit ourselves only to Article 38. There are various other Articles. There is Article 47 which speaks about health and we have won many awards from Government of India. There is Article 40, which you got in, regarding creation of village panchayats and empowering people. We have created many, many *Gram Panchayats* to create a sense of per capita governance in the State of Telangana. I can continue on and on and on but there is limitation of time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, just give me a minute to conclude. While the journey of Telangana continues to inspire India through the Constitution, we have suggestions from our party.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, just give me 30 seconds. There are three or four suggestions on the occasion of celebrating this grand journey. We request for an anti-defection law. The Congress Party brought in an amendment and the BJP supported it, but instead of tightening it, the loose ends are so clearly visible which many of the Members expressed. So, bring in a stringent anti-defection law. Secondly, bring in delimitation. States like ours, which are contributing to the country's growth, should not be punished just because we are less in population.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Sir, with these few words, I conclude. Even though we are a 4-Member Party, and, I am the only Member speaking in the world's largest parliamentary democracy, I should not be looking at you and I should not be fighting for democracy in Parliament, but nevertheless, respecting your direction, I take leave. Thank you. Jai Hind!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shrimati Priyanka Chaturvedi. You have three minutes.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I am truly grateful to you that you are in the Chair today, especially when I am speaking. सर, इस सेशन में हमारी hundred percent attendance है। मैं यहां दो दिन से सबकी चर्चा सुन रही हूं, because I do believe in the glorious 75 years of our Constitution and the need for us to celebrate it. I come from a regional party in Maharashtra. It is this Constitution, it is Dr. Babasaheb Ambedkar *ji*'s vision which has brought us to be able to speak about Maharashtra, to be able to compete as a political party against several national parties. Having said that, I was hoping that in this celebratory mode, we would be able to raise our voices. But, unfortunately, only three minutes have been assigned to us thanks to the Treasury Benches. What is equally unfortunate is amongst the 'Others', some get five minutes and some get three minutes. My floor leader got three minutes, while others who are in the 'Others' got five minutes to speak. उसमें भी भेदभाव है। That goes to show that they do not believe in actually speaking up for the Constitution and what the Constitution guarantees us. I had spoken about how several parts make an entire whole. The Constitution has several parts to it and the whole is greater than the sum of its parts. If I were to go into every single part about the Constitution, we would see how this Government has systematically weakened every single part of India's Constitution and undermined the Constitution at every single given point in time.

Sir, everybody has spoken about fundamental rights. So I will not spend my time on that. You look at part V of the Constitution. You look at part VI of the Constitution. You look at part VIII of the Constitution. You look at part XI of the Constitution. And you look at the Tenth Schedule of the Constitution. It is about the federal structure of this country. It is about Union versus States. It is about political parties. It is about anti-defection law. There is undermining of the Tenth Schedule, which mandates that two-thirds of the people, even if they defect, they need to merge into another party. Otherwise, they will be facing disqualification. It has been denied to them. What is equally unfortunate is this. We are talking about judiciary. Part V of the Constitution has judiciary in it. The Constitution Bench takes forever to take a decision which impacts, harms, undermines and weakens our Constitution. And that is the unfortunate reality that smaller parties like us face. We continue to hope that our judiciary will ensure and highlight and fasten the process of giving us justice. Unfortunately, we are still fighting that out in the courts of law. Election forms a very important part of the Constitution. We have seen in Maharashtra how 46 lakh people were added in the electoral rolls between the Lok Sabha and the Vidhan Sabha elections. We still don't have an answer from the Election Commission on that. The second thing is 13 per cent jump in voter turnout, which even the former CEC has

questioned. (*Time-bell rings.*) Just one minute more. I seek your indulgence because you are in the Chair. And I am happy to see you in the Chair, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, the last thing I want to say here is this. Another important part of the Constitution is finance, property, contracts, trade and commerce. These form part of the Constitution. We have seen how income tax forms the highest revenue component of the Government, which is personal income tax, and it is 31 per cent. Corporate tax is just 26.5 per cent which it is contributing. How one particular industrialist is getting land in Maharashtra, in Mumbai, undermining all rules of law, and favouritism is being seen from the Government of the day. All those are unconstitutional...(*Time-bell rings.*)... With these kind words, I would like to thank you so much for allowing me to speak on this important issue.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Ramji. Three minutes.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही, मैं भारत रत्न, बोध सत्य, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आधारित विश्व का सबसे सुंदर और गौरवशाली संविधान देने का काम किया। मैं बहुजन नायक बामसेफ, डीएस4, बीएसपी के संस्थापक माननीय श्री कांशी राम जी को भी नमन करूंगा, जिन्होंने पूरे देश में दबे, कुचले, शोषित, वंचितों के अंदर संविधान और बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी के विचारों के प्रति नई चेतना पैदा कर, उनके अंदर सत्ता के प्रति आगाज़ पैदा किया।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने चार बार के शासनकाल में बाबा साहेब के संविधान को उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाया। सर, संविधान की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने गरीबों की शिक्षा को फ्री किया। तमाम स्कूल्स, तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम आईटीआई कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज़ खोलने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय बहन मायावती जी ने करने का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट के अनुसार 7,84,000 बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। यह गंभीर विषय है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करे और इसके रीजन्स के बारे में देखने का भी काम करे।

सर, बहनजी के शासनकाल में गुंडे, मवाली और बलात्कारियों के लिए कोई जगह नहीं थी। भू-माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। वे लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर भागते थे। पहली बार उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बना। बहनजी ने किसी के घर पर बुलडोज़र चलाने का काम भी नहीं किया। कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि संविधान दिखाने की होड़ लगी हुई है। जिसको

देखो संविधान दिखा रहा है। कहीं पक्ष के लोग हैं, तो कहीं विपक्ष के लोग हैं, लेकिन संविधान की मंशा के अनुरूप कोई चलना भी नहीं चाह रहा है। 75 सालों से किसी ने भी संविधान की मंशा पर पूरी तरह से चलने का काम नहीं किया है। आज भी दलित समाज को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला। ओबीसी को भी आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी दलित समाज के बच्चों के साथ जाति भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। कहीं मूंछ रखने पर हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या होती है, घोड़ी पर बैठने पर हत्या होती है। जाति आधारित अत्याचार चरम पर है। आज भी दलित समाज की बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह हमारे ऊपर एक कलंक है कि हम दलित समाज की बच्चियों के बलात्कार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं?

मान्यवर, मैं कुछ घटनाओं को क्वोट करना चाहता हूं। ये अभी हाल की घटनाएं हैं। बिहार के औरंगाबाद में खम्भा गांव पड़ता है। वहां दलित समाज की नाबालिग बच्ची थी। दो दबंग जबरन घर में घुसे और उन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। मंदसौर के अंदर दबंगों ने दलित समाज के घर में घुसकर फायरिंग की और महिला की हत्या कर दी। सर, अभी एक घटना महाराष्ट्र के परवनी की है। महाराष्ट्र के अंदर परवनी में बाबा साहेब की प्रतिमा और संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किया गया। वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस ने उन ऊपर तांडव किया। पुलिस ने वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी नाम की बच्ची को गिरफ्तार किया। उसको वहां थाने में बहुत पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह शर्म की बात है। ...(**समय की घंटी**)... सर, संविधान की चर्चा तभी सार्थक होगी, जब सरकार संविधान के अनुरूप चलने का काम करेगी। मैं कुछ तमाम प्वाइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री रामजी: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। तमाम उद्योग-धंधों में एससी/एसटी की भागीदारी तय की जाए। एससी/एसटी और ओबीसी को पूरे देश में सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दिया जाए। एससी/एसटी और ओबीसी के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को फ्री किया जाए। समाज के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को फ्री किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको वापस लाया जाए और उसे पास कराया जाए।

मान्यवर, प्राइवेट सेक्टर में लंबे समय से रिजर्वेशन की मांग चली आ रही है। ...(**समय की घंटी**)... पब्लिक सेक्टर और सरकारी विभागों के अंदर जो कॉन्ट्रेक्ट बेसिस के ऊपर जो भर्तियां की जा रही हैं, उन पर रिजर्वेशन लागू किया जाए। सर, lateral entry में भी एससी/एसटी और ओबीसी को ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I have to move on.

श्री रामजी: सर, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरा लास्ट प्वाइंट है। Lateral entry में भी एससी/एसटी और ओबीसी को वहां पर रिजर्वेशन देने का काम करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sorry! I will have to move on.

श्री रामजी: मेरा एक लास्ट प्वाइंट यह है कि दलितों की आवाज़ पहुंचाना जरूरी है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आपको माध्यम से पीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sorry! I will have to move on. Now, Shri Ramdas Athawale.

श्री रामजी: अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के वर्गीकरण में...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): ठीक है, बोलिए।

श्री रामदास अठावले: उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री रामजी: एससी/एसटी के रिजर्वेशन को नवीं अनुसूची में डालने का काम करें। ...(**व्यवधान**)... कुछ दिनों से संविधान विरोधी ताकतें इस देश के अंदर हावी हो रही हैं, उन पर रोक लगाएं। ...(**व्यवधान**)... जो बदलने की बात कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान!

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्री रामदास अठावले जी। आपका समय अभी शुरू होता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): उपसभाध्यक्ष महोदय,

"आज की राज्य सभा की शाम,
हम करते बाबा साहेब के संविधान के नाम,
हमें नहीं चाहिए कांग्रेस वालों का दाम,
हम पूरा करते संविधान का काम।"
"संविधान को पूरे हुए हैं 75 साल,
मोदी साहब बदल रहे भारत का हाल,
कांग्रेस ने खाया था बहुत सारा माल,
मोदी साहब ने तोड़ दिया है
कांग्रेस का भ्रष्टाचार का जाल।"

6.00 P.M.

'सारी दुनिया का है भारत की तरफ ध्यान,
क्योंकि सबको प्यारा है अपना संविधान।'

...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, just one minute. It is about 6.00 p.m.. If the House agrees, we may extend the sitting of the House till the conclusion of the ongoing discussion. Do I have the sense of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Please continue.

श्री रामदास अठावले :

'माननीय नरेन्द्र मोदी जी रखते हैं संविधान की आन,
और ये कांग्रेस वाले दिखाते हैं हाथ में लेकर संविधान।
संविधान ने हम सभी लोगों को जगा दिया है,
इसलिए कांग्रेस को सत्ता से जनता ने भगा दिया है।
70 सालों में इसी कांग्रेस ने लोगों को दगा दिया है,
70 सालों में कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है,
और मोदी जी ने गांव-गांव में समता का पेड़ लगा दिया है ।
ओबीसी समाज के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की है
कांग्रेस को जलन,
इसलिए मोदी जी के साथ हुआ है मेरा मिलन।
हमारे साथ हैं जेडीयू के ललन
आरजेडी का बंद हुआ है वहाँ पूरा चलन।'

...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): प्लीज कन्क्लूड। थैंक यू, आपका समय समाप्त हो गया है। Please sit down.

श्री रामदास अठावले: महोदय, भारत का संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ....(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।

श्री रामदास अठावले: संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक अपने देश में जो कास्टिज्म था, उसको खत्म कर दिया है। बाबा साहेब के संविधान की शान बढ़ाने के लिए हमारी जो एनडीए सरकार है, मोदी जी सरकार है, यह सरकार काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): थैंक यू।

श्री रामदास अठावले: बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी को जन्म दिया, वह रिपब्लिकन पार्टी है और मैं उसी पार्टी को चला रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आपका बहुत शुक्रिया।

श्री रामदास अठावले: इसलिए हमें सभी लोगों का साथ मिलना चाहिए। हमें कांग्रेस वालों का भी साथ मिलना चाहिए। आज कांग्रेस अपोजिशन में है, आप 70 साल तक सत्ता में थे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, I will have to move on. Please conclude. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री रामदास अठावले: महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन संविधान पर चर्चा हो रही है, इस चर्चा में सभी लोगों ने भाग लिया है और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार संविधान को मजबूत करेगी – इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Derek O'Brien. ...*(Interruptions)*... Thank you, hon. Member. Hon. Shri Derek O'Brien, ten minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, every Member of my Party has taken one word from the Preamble as a theme and spoken on it, on the Constitution. The Constitution is more than a book in a library. It is a living, breathing document on the streets of India. We have heard lots from 1940, 1950, 1960 and 1970, lots in the 40s and 50s, and good. History is always useful.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

But I wish to take you on the streets of this living, breathing document. Let me start with 1984. A young lawyer, a part-time milk booth attendant, a political activist in 1984 suddenly went to the United Nations within one year 1984-85. Why? It is because this Constitution gave that person a chance to be elected to the Lok Sabha. It was Rajiv Gandhi who gave her a ticket. Doesn't matter bank account, doesn't matter social status, but she got the ticket and, after that, went and represented India at the United Nations.There are many light-hearted stories about how she took her *murmurah* around because she still lives in that one room home in Kolkata. That was 1984 and the Constitution made that happen for her. In 1997, again, the Constitution, not in a

library but, on the streets. The Congress party, she felt, was too close to the CPI(M). So, they had a Bengal seminar, big seminar in Bengal, of the Congress Party. They had it inside the stadium. This lady had her own conference outside the stadium. Five thousand people came inside the stadium. Fifty thousand people came outside the stadium. This is the Constitution on the streets. There are about 40-50 examples. I will just give you one more. And, that is fighting for farmers. All options had run out. So, she went on a 26-day hunger strike. This is a woman who has sent people like me to Parliament. Next time, you people here talk about women, listen to what this woman has to tell you. One is, Women's Reservation Bill. You brought it. When will women come into Parliament? It is 2034. In my party, All India Trinamool Congress, out of our 43-44 MPs, 38 per cent of women are already in Parliament. This is the kind of a debate we should be having. Otherwise, it is screaming and shouting! What have you done for women in Parliament? In the last Lok Sabha, it was 14.5 per cent. This Lok Sabha, you brought it down to 13.5 per cent! Don't talk to us about women. I am glad you took a good idea from a State --State health card, Swasthya Sathi and, two years later, you turned it into *Ayushman* Bharat. Good. But, the health card in Bengal is in the name of the woman of the house. And, under Lakshmir Bhandar, Rs. 1,200-1,500 given to women, I welcome that the idea started by Mamata Banerjee in Bengal many years ago has now been copied by multiple States. Very good! But, see your arrogance! On a day where we are debating the Constitution of India, your hubris makes you bring a Bill to amend the Constitution at 12 noon! Bring it, we will fight you. We will defeat you; on the One-Nation-One-Election. And you are bringing this Bill. For heaven's sake, you cannot conduct one election in one State in one phase. You need seven phases! I will give you examples. You can't conduct one election in one constituency! You need two different days.

Sir, it has been a 30-hour debate. There are one lakh forty-six thousand words in the Constitution. I want to talk about three important words which are not in the Constitution. Very important. And, let us reflect. Federalism! As per your view, you say, cooperative federalism. Your view is PF, not 'provident fund' but 'political federalism'. What do you say? You say, 'We don't like you. We can't defeat you. So, what we will do? We will block MGNREGA funds and we will block *Awas* Yojana funds.' It doesn't matter. We brought our own funds to pay in Bengal. You will do this. It is because double engine is an unconstitutional concept. We spend so much time on words, words, words. I want to pause for 10 seconds and give my 10 seconds for everyone, through you, Sir, to introspect. Think about it. Federalism! Second word not mentioned in the Constitution - 'media.' And, we have all the respect for journalists; all of them, not mentioned in the Constitution. I want to use

this platform of Parliament to ask the 10 biggest media owners. You are watching this, I hope. The ten biggest media owners! Don't give me examples of 1975 in the Emergency. No! The ten big media owners, you are the billionaires. The next seven seconds are for you. In silence, reflect, and introspect. And the third word not mentioned in the Constitution, which is very important, is the 'Opposition'. It is not mentioned in the Constitution. It is the very basic rule. The Opposition must have its say. We do not have the numbers here. The Government will have its way. It is as simple as that. So allow us to have our say. I am happy that the hon. Home Minister is here because sometimes, the Opposition is not in Parliament. Let me give you two examples. One, unanimous resolution passed in the Bengal Assembly to fast track a Bill for the safety of the women who are raped, the Aparajita Bill. And the second example is to change the name of the State to 'Bangla'. Where are these Bills? The Governor's office - deep freeze. After that, it comes to high constitutional office. I have no problem with the high constitutional office, not at all, because the high constitutional office will only act on the advice of Mr. Modi, Mr. Shah, the Home Minister, the Cabinet. I want the high constitutional office or those advising on these issues of the Opposition to reflect. *…(Interruptions)…* Sir, reflection is difficult. Reflection has to be in silence. So, don't hassle me when I am speaking. Then, the Farm Bills. What happened on that? I have got 30 examples of the Parliament. I will take one. Sir, 146 MPs were thrown out for another Bill, Criminal law Bills. There is an enabling act of the Nazis that they brought there in 1933. Read that because that also gives you similarity. But come to the Farm Bills. What happened to the Farm Bills? The Opposition objected. Why? It is because we wanted voting on the Bills. What happened when the Opposition objected? Everyone got suspended. The videos went out. "Oh! The Opposition was dancing or moving around on the tables!" My question is: When you repealed the Farm Bills, you quietly sat down and repealed the Farm Bills. Why did not you allow the Opposition to debate that subject when you repealed those Bills? Allow us. Sir, in all this, some of these explanations will not be understood because there are parties like mine led by Mamata Banerjee and the people of Bengal. You try and get us in Bengal, every time out of ten seats, you lose three, we win eight. So, you are stuck with that. Sir, we will not allow this Parliament to ever become an RSS *shakha*. Never! We will fight for it. But I want to end on a celebratory note, on a happy note. I have stayed only with the Constitution. And when I started, I said that the Constitution is more than a book in the library. It is a living, breathing document on the streets, and I know these streets of Kolkata, of every district in Bengal. Sir, I will end with a story. It is a reality. There is a Jewish bakery in Kolkata where a week away from Christmas,-- there must be about 4,000-

5,000 Jews in India -- the Jewish bakery makes delicious Christmas cakes. All the 300 bakers in that Jewish bakery belong to one community. They are all Muslims, each one of them. And about a week before Christmas, there are long lines outside the bakery, and if you go and ask the people in those lines, they will tell you, "Bhaskar, Reema, Arun". It does not matter, they are all Indians, but they are in that line in that Jewish bakery. Eighty per cent are Hindus. ...*(Interruptions)*...

Sir, I will take one more minute. And, what are they celebrating? A Christian festival! Sir, I want to conclude by saying, come to Bengal. Come at the end of March. Now, you can come and celebrate Christmas. Come at the end of March to line up on Red Road and watch the Eid prayers. Or, mark the date, on the 30th of April, come to Digha to see the beautiful new Jagannath Temple. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri P. P. Suneer.

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Hon. Chairman, Sir, previous speakers have highlighted the history of our Constitution and the challenges it faces today. Given the nature of the topic and listening to some of the speeches from the Treasury Benches, there is much to be said. Opening the discussion, the hon. Finance Minister targeted the Soviet Union's model by forgetting their immense assistance for our country in terms of numerous infrastructure projects at the scale of the Bhilai Steel Plant and their support to us during the 1971 war. It was a joint Indo-Soviet space program that sent the first Indian into space. Like this, there is much to call out and expose the lies spoken from the Treasury Benches. But given the paucity of time, I rise to speak only on the reality behind the 11 resolutions given by hon. Prime Minister in the Lok Sabha. While these resolutions may appear optimistic, they do not align with the reality of governance under the BJP. The first one, 'Be it Government or citizens, all must fulfill duties' While it is noble to call for duties, this comes from a Government that has sidestepped its responsibilities, particularly, in tackling unemployment and inflation. In our Constitution, duties follow behind rights and rights of the people is a term the BJP has no value for. The second is 'Sabka Saath, Sabka Vikas.' This slogan falls flat as Dalits, Adivasis and Minorities, especially Muslims, continue to face discrimination. The Government and the BJP's action contradict this call for inclusive development. The third one is 'Zero tolerance towards corruption.' The BJP's call for zero tolerance is undermined by its own actions. The Treasury Benches repeatedly obstructed discussions on corruption charges against a corporate house and several alleged corporate individuals are now ruling party leaders. The fourth one is 'Laws of nation' - we should be proud of them.' Selective

enforcement of laws like UAPA target dissenters and activists. The recent suicide of an individual in Madhya Pradesh due to ED harassment raises serious questions about misuse of power and fairness of law enforcing authorities. The fifth one is 'Freedom from colonial hangover, pride in India's culture and heritage.' While it is important to move beyond Colonial legacies, the BJP's obsession is with distorting India's path to further its divisive agenda. Creating artificial enemies to divide the people does not help national progress. The sixth is 'Freedom from dynasties in politics.' The BJP's own dynasties, naturally, is evident, with several leaders holding power for decades. The PM should look to the Left for lessons in political merit if he wants to pursue politics that looks beyond dynasties. The next is 'Samvidhan ka Samman.' The RSS's early attacks on our Constitution remain relevant. Their allegiance to Manusmriti over the Constitution speaks volumes about their commitment to democratic principles. 'Don't take away reservations of those who did them.' While the hon. Prime Minister's statement is welcome, the BJP's policies, including privatisation, have eroded opportunities for marginalized communities to benefit from reservations. Reservations can be safeguarded only when there is a strong public sector. Last point, Sir, is 'Women-led development'. Real women's empowerment requires more than rhetoric. CPI leader, Comrade Gita Mukherjee, was the pioneer of the Women's Reservation Bill. The BJP has created obstacles from moral policing to the mistreatment of women wrestlers. The hon. Prime Minister must act on his words by implementing the Women's Reservation Act immediately.

In conclusion, these resolutions fail to address the true needs of our country. There is a growing gap between the Government's promises and its action. True progress requires a commitment to equality, justice, security and federalism as enshrined in our Constitution. Thank you, sir.

SHRI SANA SATHISH BABU (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to make my maiden speech and that too on the 'Glorious Journey of 75 Years of the Constitution of India'.

I thank Shri Nara Chandrababu Naidu for giving me the opportunity to be a part of this House and a chance to speak on the Constitution of India. In this context, I would like to remind this House and the people of India of the great Telugu people who contributed in the drafting of the Constitution of India -- Shri Moturi Satyanarayana, Shri Alladi Krishnaswamy Ayyar, Shri T.T. Krishnamachari, and Sri Thirumala Rao -- as Members of the Constitution Assembly, representing the Madras Presidency. The great Telugu people played a significant role in the drafting of the Constitution. Andhra Pradesh has been a pioneer in the implementation of the

Constitution and the subsequent amendments to it. The democratic process has been vibrant in the spirit of the Constitution. Equality and justice have been upheld by the people of Andhra Pradesh. I would like to bring to the notice of this House and the country that Andhra Pradesh has resolved to the Swarnandhra 2047 Vision Document, formulated by hon. Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu, as a part of 'Viksit Bharat 2047', envisaged by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi.

Education is the foundation of equality and this Government is ensuring that no child is left behind through the record-breaking parent-teacher meetings in all Government schools and the mega DSC initiatives for 16,500 teachers' posts. We are empowering the future generations by laying the foundation of equal opportunities to all. In just five months, this Government has taken steps towards social justice; an investment of Rs. 18,000 crores has been made in pensions to provide support to 64 lakh citizens, ensuring dignity and care of the most vulnerable among us …(*Time-bell rings*.)… It is my maiden speech, Sir.

Andhra Pradesh has introduced transformative policy initiatives, designed to ensure economic justice for creating inclusive growth opportunities across various sectors, including AP Industrial Development Policy 4.0, AP MSME Policy, AP Food Processing Policy, AP Electronics Policy, AP Integrated Clean Energy Policy. …*(Interruptions)*… The Central financial assistance of Rs. 1500 crores for the development of new capital Amaravati is the testament of the nation's standing with Andhra Pradesh. …(*Time-bell rings.*)… Just one minute more, Sir.

An hon. Member, belonging to the YSRCP, had yesterday made certain comments here about the implementation of the Constitution in Andhra Pradesh. Their party workers commented on social media against women. That is unconstitutional. The party people commented very, very wrongly. And, their party had falsely arrested a three-term serving Chief Minister at the age of 74 without evidence by misusing the state machinery.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for this opportunity to speak on this solemn occasion. I am delighted to stand in this august House and speak about our great Constitution on the occasion of 75th year of its adoption. But, for the visionaries like Mahatama Gandhi, Dr. Baba Sahab Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel*ji,* Bhogaraju Seetaramayya, Maulana Abdul Kalam Azadiji, etc., a person like me could not have entered the portals of this temple of democracy. These leaders provided the language of substance of India's unity in diversity, and the ideals enshrined in the preamble, justice, liberty, equity, and

fraternity. I pay homage to all those who provided us this great Constitution of India. "*Hamara Samvidhan, Hamara Samman*", a campaign which has been launched by Her Excellency, the hon. President of India, aims to deepen citizens' understanding of the Constitution. In spite of there being cultural barriers, language divide, historical tensions regionalism and social-economic disparities, our Prime Minister, Shri Narendra Modi says, "India is strong because of its diversity. We are proud that our Constitution framed by our founding fathers is standing as a solid rock over the last 75 years and it is the responsibility of all of us to stand united for the integrity and prosperity of all Indians so that India becomes a developed nation, 'Viksit Bharat' by 2047. On this occasion, this is to submit a few critical aspects of the need for inclusivity of OBCs in the development of our country. Though, as per our Constitution, all are, may be, equal before law but I have no hesitation to mention that all are not equal in getting the fruits of freedom as envisaged by our founding fathers of the Constitution.

While representation of weaker sections in public services, especially, for OBCs, has been improving, though at snail's pace, thanks to the reservations after the belated and partial implementation of Mandal Commission's recommendations, their share in the wealth of the Nation is dismal and disproportionately low. (*Time-bell rings.*)

We are proud that hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, an OBC leader, is leading the nation successfully over the past 11 years and keeping the Indian flag high in the international platforms. I hope that hon. Prime Minister will focus on the development of OBCs in all walks, especially, in the field of industry, trade and business and help the OBCs grow on par with others. This will be possible if all the recommendations of the Mandal Commission are implemented within a fixed time frame. I also humbly implore the hon. Prime Minister to create a separate Ministry for the welfare and development of the OBCs, so that there will be a special focus on the overall development of OBCs in the country. I thank the Chair and my leader, hon. Chief Minister of Andhra Pradesh.

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Now, Shri R. Girirajan. You have three minutes.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): [&] "Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the special discussion to mark the Coral Jubilee of the

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

adoption of the Constitution by the Constituent Assembly. Constitution is the mother of all other laws of the country. Every law enacted by the Government has to be in conformity with the Constitution. Unfortunately, most of the Bills brought and passed by this Government from 2014 are against the guiding principles of the very own Constitution. The BJP leaders are accusing the Congress for indiscriminate use of Article 356 to topple State Governments in the past. But, what BJP is doing is a different technique - poaching and purchasing the MLAs to topple the duly elected Governments. It is unfortunate that BJP is resorting to undemocratic means to topple State Governments which are ruled by Opposition parties. Sir, people will not forget what they did in Karnataka or Madhya Pradesh, what they did in Maharashtra, Goa and Arunachal Pradesh to topple Governments. Sir, the Governors are being used as BJP State presidents in all the Opposition-ruled States. The BJP appointed Governors, interfering in the affairs of the duly elected Government; not respecting and responding to the Cabinet decisions and Bills passed by the Assembly of the duly elected Government, is unconstitutional. The Governors acting as super Chief Ministers in the Opposition-ruled States like Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Kerala, West Bengal, Punjab and Delhi is untenable and unwarranted. The injustice caused by the BJP Government to ruin the aspirations of the States and to protect and promote their regional languages is unconstitutional and misuse of power. Their penchant for imposition of Hindi on non-Hindi speaking people is nothing but the "linguistic terrorism." (*Time-bell rings.*) The Government should declare all the regional languages as the official language of the State and allow them to practise in respective High Courts as the official language, thereby ensuring autonomy to the States, federalism at the Centre. (*Time-bell rings.*) Give me one minute, Sir. The Constitution of India is our holy book and must ensure that Fundamental Rights and core values enshrined are maintained undisturbed and revered. To the current ruling dispensation the Preamble of the Constitution is a stumbling block to fulfil their 'Hindu Rashtra' day dream but we will forever stand as the most powerful unbreakable iron wall to protect our Constitution. Thank you, Sir."

MR. CHAIRMAN: Shri R. Dharmar; three minutes.

SHRI R. DHARMAR (Tamil Nadu): [&] "Hon. Chairman Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. Social justice is the lifeline of Tamil Nadu. *Hon. Puratchi thalaivar* M.G.R., the founder of the AIADMK party, had laid the foundation for social

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

justice in Tamil Nadu. *Hon. puratchi thalaivi* Amma,, Ms. J. Jayalalitha, goddess of our heart, had successfully implemented 69% reservation for Other Backward Classes in Tamil Nadu. She was instrumental in bringing the amendment in Ninth Schedule of the Constitution. In 1993, the Legislative Assembly of Tamil Nadu passed resolution for implementing 69% reservation to the Other Backward Classes. Our *hon. Puratchi thalaivi* Amma staunchly pursued the matter with the Union Government and succeeded in getting the approval from the Union Government also. Shri Shankar Dayal Sharma, the then President of India, accented his approval to this Bill within a month. Her commitment in implementing this reform is laudable. Her schemes for the welfare of women and children are of much significance. Schemes like '*Amma Unavagam'* and some educational schemes are appreciated by people of Tamil Nadu even today. She implemented many schemes for the upliftment of the poor and downtrodden. Due to her courage and perseverance, Tamil Nadu enjoys the fruits of social justice. Social equality and social justice are the landmark achievements of Tamil Nadu. It is possible because of the efforts of our *hon. puratchi thalaivi Amma*. I would like to put this point on the record of this august House. With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir."

MR. CHAIRMAN: Shri Kartikeya Sharma; and after Shri Kartikeya Sharma, the hon. Minister.

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the historic occasion, a rare privilege. Today, when we celebrate 75 years of the Indian Constitution, we commemorate not just a legal document but the very spirit of India - our hopes, dreams and aspirations. Our Constitution is a living testimony of the vision of our forefathers, the sacrifices of our people and the resilience of our democracy. Sir, it has weathered many challenges, including deliberate attempts to undermine its foundations, yet stood firm as the bedrock of justice, liberty, equality and fraternity. Dr. Ambedkar emphasised that the Constitution must reflect the needs of the people and evolve with time. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. Sir, Dr. Ambedkar warned the Assembly on 26th January 1950. He said, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, but in our social and economic life, we will have inequality. How long shall we live this life of contradictions?

Today, Sir, when we stand, I, as an Independent Member, want to appeal to the Government and the Opposition that we should take this opportunity and must compliment and congratulate our forefathers for having envisaged such a beautiful Constitution which has seen it through in the last journey along its way in the last 75 years, and I am reminded of a quote by the then Prime Minister of England who said, "Power will go to the hands of rascals, rogues and freebooters. Indian leaders will be of low calibre and men of straw."

Sir, today, when we have completed 75 years of the adoption of our Constitution, our economy has become the fifth largest economy, on the way to becoming the third largest economy in the world. It is a befitting reply to those who thought that the Constitution will not befit Indians as a country and our calibre was undermined.

Sir, democracy is an evolutionary process. There is no finite point in democracy. We strive towards an optimum form of democracy and the Constitution is a guiding force for that. That is what the Constitution has given us. It has guided us through the tough times, through the times that it has been put to test, in the challenging times, from 1975 to 1977, under the Congress Government, which curtailed freedoms, suspended fundamental rights and misused constitutional provisions. However, the people, inspired by Constitution and the promise of liberty, did overthrow the authoritarian Government in 1977.

Sir, there have been umpteen instances. I have very limited time. But I would just say that the underlying principle of the Constitution has been to protect the vulnerable sections of society whether they are Scheduled Tribes, dalits or the economically weaker sections, and it goes to the extent that there should be positive discrimination also, if required, and specially in the case of women. I want to thank the Government because by bringing the Women's Reservation Bill, they have taken that constitutional provision and positively discriminated against women by making them an integral part of our democratic process.

Sir, many Opposition Members and my friends have spoken about bulldozers. They spoke yesterday, including a very senior Member. I want to remind them that in 1976, it was the then Congress Party which started the culture of bulldozers under the Sanjay Gandhi regime, at Turkman Gate. They spoke of one nation, one election, as if there is some sort of a ploy to destabilise the election process.

Sir, for 15 years, from 1952 to 1967, including the time when our forefathers had started, that was the norm. That was until it so happened that subsequently the Congress regime decided to change that applecart. Sir, we have had more than 400 elections since 1952 till now, out of which 200 elections took place in the decade of

70s and 80s, which was the most unstable political period in our country and cost us very dearly, because this was the time where economically we fell behind countries like China and were not able to come out it.

Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this historic event. I wish that we, in unison, can appreciate the Constitution and celebrate it.

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार का भाव प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। महोदय, यह चर्चा एक ओर तो हमारे संविधान के कारण हमारा देश कितना आगे बढ़ा, इसका जनता को एहसास कराएगी, दूसरी ओर हमारे संविधान की मूल भावनाओं के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र की मूल पाताल तक गहरी गई है, इसका भी एहसास होता है और तीसरी ओर यह भी मालूम पड़ता है, जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार करके कोई अपने लिए संविधान को तोड़-मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। सभी दृष्टि से अगर देखें, तो दोनों सदनों में संविधान पर जो चर्चा हुई है, वह चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदनों में बैठ कर देश के भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। देश की जनता के लिए भी क्षीर-नीर करने में बहुत मदद करेगी कि किस पार्टी ने - आज जो 75 साल की मीमांसा होगी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जब-जब जनता ने किसी पार्टी के हाथ में शासन दिया, तब उस पार्टी ने संविधान का सम्मान किया या नहीं किया।

मान्यवर, आज़ादी की बहुत लम्बी लड़ाई के बाद हम आज़ाद हुए। जब हम आज़ाद हुए, तब दुनिया भर के कई राजनीतिक पंडितों ने कई आगाहियां की थीं कि यह देश बिखर जाएगा, शायद बन ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी आगाही की थी कि यहां डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रस्थापित नहीं हो सकती। एकता हो नहीं सकती और यह देश आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होगा। आज जब 75 साल के समय के बाद संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सरदार पटेल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा है।

मान्यवर, जो कहते थे कि लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं उन सभी लोगों को सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी, आस-पास में, पास-पड़ोस में, दुनिया भर में कई लोग आज़ाद हुए, नई शुरुआत की, लेकिन वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। हमने रक्त की एक बूंद बहाए बगैर अनेक परिवर्तन किए हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन किए हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर-चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, उनको भी हमारी जनता ने, हमारे संविधान की खूबसूरती ने जवाब दिया है। आज हम सम्मान के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा अर्थतंत्र बने हैं। ब्रिटेन, जिन्होंने

सालों तक हम पर राज किया और जो मैंने तीनों आगाही की, वहीं से पक्ष-विपक्ष में से आई थी कि आज ब्रिटेन भी अर्थतंत्र की तालिका में हमारे पीछे खड़ा है। मान्यवर, यह हम सबके लिए गौरव लेने का पल है, हम सबके लिए बोध लेने का भी पल है और हम सबके लिए संकल्प लेने का भी पल है। महोदय, इस सदन में आपने 80 से ज्यादा सांसदों को बोलने का मौका दिया। 31 घंटे की चर्चा हुई और इस चर्चा में सभी भाव पक्ष या विपक्ष से कहीं न कहीं प्रकट हुए हैं।

महोदय, आज जब मैं यहां आया हूं, तब यह बात कहना चाहता हूं कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद जी की वह भविष्यवाणी सच होती दिखाई देती है कि भारत माता अपने दैदीप्यमान ओजस्वी स्वरूप से जब खड़ी होगी, तब दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और पूरी दुनिया उस रोशनी से भारत की ओर देखेगी। वह दिन सच होगा, इसके नजदीक काफी मजल हमनें काट लिए हैं। मान्यवर, हमारा संविधान, संविधान सभा की रचना और संविधान की रचना की प्रक्रिया, ये तीनों एक प्रकार से समग्र विश्व के सभी संविधानों में अनूठे हैं, अलग प्रकार के हैं। हमारे यहां दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत, लिखित संविधान चर्चा के सभी हमारे पारंपरिक लक्षणों को पार करते हुए किया है। इस संविधान सभा में 299 सदस्य रहे, 22 धर्म, जाति समुदाय के सदस्य रहे। हर प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व रहा, हर राज्य का प्रतिनिधित्व रहा, एक प्रकार से समावेशी प्रतिनिधित्व के साथ भारत का भविष्य तय करना, इसका मतलब यह है कि संविधान को रचने की हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक अहर्निश चर्चा चलती रही, विस्तृत चर्चा चलती रही। देश के भविष्य, देश चलाने के नियम और देश की परंपरा को समाहित करते हुए देश को आगे ले जाने का संकल्प इतनी विस्तृत चर्चा के बाद बना। 13 समितियों में कार्य विभाजन किया गया। सात सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया को कोई ऐसा संविधान होगा, जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट के लिए दिया गया। और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल मे चर्चा करके उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान है। महोदय, हमारा संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बँटा है। मान्यवर, संविधान के ये जो सभी अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियाँ हैं, ये विश्व में किसी भी संविधान से ज्यादा उद्दात और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे हैं, इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब इस संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं।

मान्यवर, मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। नंदलाल बोस, जो गुरुवर टैगोर के अंतेवासी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने चार वर्ष का समय लेकर संविधान को सजाने का काम किया था। जो संविधान लिखा गया था, उन्होंने इसके अनुरूप घटनाओं को संविधान के अंदर उकेरने का भी काम किया था। उन्होंने इतिहास, धर्म, संस्कृति, परंपरा सभी से मानव जीवन के उच्च मूल्य देने वाले सभी संदेशों को, घटनाओं को चित्र रूप में यहां पर उकेरा था। महोदय, यहां पर भगवान राम का चित्र भी मिलेगा, बुद्ध और महावीर का भी मिलेगा, दशम पिता गोविंद सिंह जी का भी चित्र मिलेगा। गुरुकुल में हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए - इसमें इसका संदेश भी मिलता है, राम, सीता, लक्ष्मण एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते वक्त दिखाए गए हैं, भगवत गीता के संदेश का चित्र भी दिया है, शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहां पर स्थान देकर हमें देशभक्ति के उत्तुंग पाठ पढ़ाए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का

स्मरण कराती है और नटराज से जीवन में बैलेंस कैसे होना चाहिए, - उस बैलेंस के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है।

महोदय, राज्य सभा में क्या-क्या चर्चा हुई, यहां आने से पहले, मैंने आज उस पर भी थोड़ा काम किया। उसमें हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने कहा कि चर्चा का स्तर इतना नीचा हो गया है कि यहाँ चित्रों की चर्चा हो रही है। मान्यवर, अगर संदेश लेना नहीं आता, तो संविधान का भी कोई उपयोग नहीं है। ये सारे जो चित्र लगाए हैं, वे हज़ारों साल से चलने वाले हमारे राष्ट्र के जीवन को उद्घोषित करने वाले हैं और कोई यह न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है, क्योंकि हमारे यहां ऋग्वेद में कहा गया है कि हमें हर कोने से अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबका सबसे अच्छा लिया है, मगर अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। अगर पढ़ने का चश्मा विदेशी है, तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देगी और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है, चित्र बगैर का संविधान, अधूरा संविधान है।

मान्यवर, इस संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसमें राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, डा. बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान काटजू, के.टी. शाह, आयंगर, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन्, के.एम. मुंशी जैसे विद्वानों ने अनेक चर्चाओं में हिस्सा लेकर संविधान को समृद्ध और संपूर्ण बनाने का काम किया। महोदय, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिनमें विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, वीर सावरकर, लाला लाजपतराय ने राष्ट्र, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं में उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाली भावनाओं का उल्लेख करकर कोई न कोई सिद्धांत प्रस्थापित किया है।

मान्यवर, जिस संविधान में इतने सारे मनीषियों के अच्छे विचार हों, उसे तो सफल होना ही था। अगर कोई संविधान सभा की चर्चा को ध्यान से पढ़ेगा, तो हमने इसके अंदर वेद, उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण और महाभारत, इनमें से उपजे हुए मानव जीवन के सभी मूल्यों को भी समाने का प्रयास किया था।

मान्यवर, 75 साल हो गए, तो हमारे राजनीतिक दलों, हमारी पोलिटिकल पार्टियों के साथ-साथ हमारी सरकारों ने भी संविधान को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह चर्चा समयोचित होगी। हमारे संविधान की रचना के बाद डा. अम्बेडकर ने बहुत सोच-समझकर एक वाक्य कहा था। मैं अम्बेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। "कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा बन सकता है, अगर जिन लोगों को पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है, वे अच्छे ना हों। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, अगर उसे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो।" मान्यवर, हमने ये दोनों घटनाएं हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखीं। मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ। हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है। समय के साथ-साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ-साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ-साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसे

हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रोविजन किया था। अभी कुछ राजनेता आए हैं, जो 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे! मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि संविधान के प्रावधानों को बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में ही है। मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, इससे किसी का थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए। मान्यवर, भाजपा ने 16 साल राज किया, छः साल अटल जी ने किया, दस साल मोदी जी ने किया और पाँच साल और मोदी जी ही करेंगे। एक प्रकार से हमने 16 साल शासन किया है। हमने 16 साल में 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन किए। कॉंग्रेस ने 55 साल शासन किया और कॉंग्रेस के 55 साल के शासन में 77 परिवर्तन हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए थे? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़-मरोड़ कर फॉर्मेलिटी करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए, क्या जिनके पास अधिकार नहीं हैं, ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार देने के लिए परिवर्तन किए गए या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन किए गए? इससे ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास सबको मालूम होता है। मैं संविधान संशोधन में ज्यादा नहीं जाऊँगा। मैं दोनों प्रमुख दलों के चार-चार संविधान संशोधनों को लेना चाहूँगा। पहला संशोधन 18 जून, 1951 में हुआ। यह संशोधन संविधान सभा को ही करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद कॉंग्रेस पार्टी में आम चुनाव तक जाने का धैर्य नहीं था। अभी लोक सभा नहीं बनी थी, राज्य सभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। उसका उद्देश्य क्या था? 19ए जोड़ा गया। वह किसलिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। मान्यवर, उस वक्त प्रधान मंत्री कौन थे? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे। ...(**व्यवधान**)... आप बता चुके हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No. *...(Interruptions)...* Sit down. *...(Interruptions)...* Jairam *ji*, he is not yielding. *...(Interruptions)...* He is not yielding. *...(Interruptions)...* We heard the Leader of the Opposition. *...(Interruptions)...* Unless he is yielding, let us hear him.

श्री अमित शाहः मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है। आज-कल करते हुए मुझे विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में बैठते हुए 30 साल हो गए हैं। संसद में भाषण देने का मुझे अनुभव है। वे विरोध तभी कर सकते हैं, जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं है, तो वे बताएं। संविधान संशोधन नंबर एक ...(**व्यवधान**)... अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर एक अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लाया गया था। मान्यवर, जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधान मंत्री थीं, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी और 5 नवंबर, 1971 को संविधान में 24वां संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रधान मंत्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करते हैं और दूसरे प्रधान

मंत्री उसी परिवार से आते हैं, वे नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। 39वां संविधान संशोधन - अब तो इंतिहा ही कर दी और सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त, 1975 के उस दिन का हमारे संविधान के इतिहास में जब भी जिक्र होगा, तो वह काले अक्षरों से ही करना पड़ेगा। मान्यवर, उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। अभी कुछ नहीं है और ईवीएम ले लेकर घूमते हैं। हारते हैं और ईवीएम लेकर घूमते हैं और कहते रहते हैं कि ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी है। चुनाव आयोग ने तीन दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि कोई इसे हैक करके बताए, लेकिन कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया और हारते हैं, तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन दो परिणाम घोषित हुए। एक तो महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, उसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और अब दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी दिन वे झारखंड में जीते, तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली! भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है! एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है! मान्यवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया और उन्होंने संशोधन से प्रधान मंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

7.00 **P.M.**

आपको जो करना है, वह करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। अभी मेरे कम्युनिस्ट भाई जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरे में अपनी आत्मा को टटोलना भइया, मालूम पड़ेगा। मान्यवर, संविधान संशोधन retrospective effect से किया गया कि अगर पुराना भी मुकदमा है, तो वह खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है! हमारे प्रधान मंत्री तो कहते हैं कि मैं प्रधान मंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती, भले ही संविधान ने अधिकार दिया, वह अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। मान्यवर, ऐसे-ऐसे सुधार किए हैं।

मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं और 45वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी-अभी सुबह दूसरे सदन में 'One Nation One Election' का बिल पेश हुआ। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दलों ने कहा कि लोक सभा को विधान सभा और लोक सभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं है। मैं सुन रहा था। है या नहीं है, वह तो जब बिल आएगा, तब चर्चा करेंगे, परंतु आपने क्या किया! 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा, तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोक सभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका,

कांग्रेस में कुछ जितनी थोड़ी-बहुत बची-खुची हिम्मत थी, वे absent रहने लगे, तो कोरम नहीं होता था। इसलिए एक फरवरी को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्य सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं है, 5 लोग भी हैं, तो चला लो। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि ...(**व्यवधान**)... खरगे साहब, किया है, तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि ...(**व्यवधान**)... राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ये चार संशोधन ...(**व्यवधान**)... मैं समझ रहा हूं कि क्यों गुस्सा आ रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं समझ रहा हूं कि क्यों गुस्सा आ रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister is not yielding. ...*(Interruptions)*... Are you yielding? ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं अब आपको address करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Only what the hon. Home Minister says will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, अब मैं आपको address करूंगा। ...(**व्यवधान**)... खरगे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: आपकी हाजिरी वहां दर्ज कर ली गई है कि आप यहां बैठे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ये चारों संशोधन, ...(**व्यवधान**)... ये चारों संशोधन मैं अपनी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता था, ये चारों संशोधन संविधान में हुए। किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई, तब उसने निरस्त किया, कुछ lingering test में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता हैं। इन चार संशोधनों से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस न हो; दूसरे में हम चुनाव हारने वाले हैं, तो समय बढ़ा देना; तीसरे में मेरे ऊपर जांच नहीं हो सकती और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त कर देना। ये उद्देश्य बताते हैं।

मान्यवर, अब मैं हमारे चार संशोधन लेकर आता हूं। सबसे पहला संशोधन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया, 101वां नंबर भी अच्छा आया है, हम 101वां संशोधन, 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी को लेकर आए और इस देश के अर्थतंत्र को Rhythm में लाने का काम किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक फैले हुए हमारे विशाल देश में 100 अलग-अलग बिक्री कर के कानूनों को समाप्त करके, लोगों की परेशानी खत्म करके, जीएसटी के तहत एक कानून लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया और वह लोगों की भलाई के लिए किया।

महोदय, मैंने कल की डिबेट पढ़ी है। किसी सदस्य ने बोला कि नरेन्द्र मोदी जी ने विरोध किया था। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूँ कि हाँ, नरेन्द्र मोदी जी ने विरोध किया था, लेकिन किस मुद्दे पर

किया था? आप जीएसटी तो लाना चाहते थे, मगर राज्यों को कम्पनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। हम जीएसटी भी लाए और राज्यों को विकास दर के हिसाब से कम्पनसेशन की गारंटी भी दी। इतना ही नहीं, गारंटी का 10 साल तक पालन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। हम संशोधन लाए, देश के अर्थतंत्र को सुचारू बनाने के लिए लाए। हम दूसरा संशोधन, 102वाँ संशोधन लाए और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज़ को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया।

सर, अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि नरेन्द्र मोदी जी ने यह क्यों किया। मैं आगे बहुत सी बातें बताऊंगा। नरेन्द्र मोदी जी यह इसलिए कर पाए, क्योंकि आपने यह नहीं किया था। अगर आप यह कर देते, तब तो यह मोदी जी के भाग्य में ही नहीं आता। मगर पिछड़ी जातियों के कल्याण में कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, उसकी नीति भी नहीं रही। ...(**व्यवधान**)... भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए संविधान संशोधन लेकर आई।

मान्यवर, हम तीसरा संशोधन क्या लाए - 103वाँ संशोधन 12 जनवरी 2019 को लाए। ऐसी किसी भी जाति को, जिसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने गरीब कल्याण और गरीबी हटाओ की बातें सालों तक कीं, लेकिन सुध नहीं ली, उसे समय नहीं मिला, विचार नहीं आया। यह विचार नरेन्द्र मोदी जी को आया और पूरे देश भर में गरीबों के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया।

मान्यवर, हम 105वाँ संशोधन लाए। ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। मैं बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन क्या कोई एक केंद्र सरकार तय कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक यह केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि इसके कारण पिछड़े समाज के साथ अन्याय होता है। यह संविधान संशोधन करने के बाद, 10 अगस्त 2021 के बाद, पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्यों की सरकारों को देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

मान्यवर, अब मैं सबसे अंतिम संशोधन के बारे में कहना चाहता हूँ। यह 106वाँ संशोधन है। मैंने तो क्रम में बोला है, एक भी नहीं काटा है। 101, 102, 103, 104, 105 और 106 - ये सब के सब जन कल्याण के लिए लाए गए थे। 106वाँ संशोधन 28 सितंबर, 2023 को मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का था, मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का था। ...(**व्यवधान**)... तब 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बना। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे सदन के माध्यम से देश भर की 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि जब इन दोनों सदनों में 33 प्रतिशत नारी शक्ति बैठेगी, तब संविधान निर्माताओं की कल्पना पूरी हो जाएगी, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, इसके अलावा भी हम कई कानून लेकर आए। हम 'ट्रिपल तलाक' को निरस्त करने का कानून लाए। अब ये कहते हैं कि यह आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। 'ट्रिपल तलाक' को समाप्त करना चाहिए और शाहबानो को मुआवजा देना चाहिए -

दोनों जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग समय पर दिए थे। परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करके मुस्लिम बहनों के साथ इतने सालों तक अन्याय करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त करके मुस्लिम माताओं-बहनों को अधिकार दिया कि आपका भी अधिकार आपके पति जैसे है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, मगर अभी कोई नहीं कहता है कि यह अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है। हमारे आरिफ मोहम्मद खान, बेचारे मंत्री थे, अच्छे-खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा थी। अब उन्होंने कहा कि शाहबानो को मुआवजा देना चाहिए। इसके कारण उनका मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते रहे। कौन बोलेगा? इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है।

मान्यवर, 2020 में हम नई शिक्षा नीति लाए। आजादी के बाद पहली शिक्षा नीति आई है, जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाई। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे! ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि प्रकृति बदल गई है या उनकी सोच बदल गई है। खैर जो भी हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाई है कि अगर वह इसका विरोध करेगी, तो लोग उसका विरोध करेंगे, इसलिए उसने विरोध नहीं किया।

मान्यवर, हमने जम्मू-कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाया और तीन नए आपराधिक कानून भी लेकर आए। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये तीन कानून 160 साल बाद आए। पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों के पार्लियामेंट में बने थे। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली का भारतीयकरण करने का काम किया है। वे कानून, जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वे कानून को समाप्त करके हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसको पूरा करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया, तो हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया। आप तो कई साल तक बजट शाम को साढ़े पाँच बजे रखते थे। आप शाम को साढ़े पाँच बजे क्यों रखते थे? ऐसा इसलिए, क्योंकि इंग्लैंड की रानी की घड़ी में उस वक्त 11.00 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी की घड़ी से बजट रखने की आदत थी। उसको भी किसी ने बदला, तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बदला।

मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई हैं, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृत्य में भी होने चाहिए, करतूतों में भी होना चाहिए और कल्पना भी होना चाहिए। जब कृत्य में नहीं है, करतूतों में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा। अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहरा कर असत्य बोल कर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से हुआ। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास

है, संविधान श्रद्धा है, संविधान सम्मान करने का मुद्दा है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, वह नरेन्द्र मोदी जी हैं। ...(**व्यवधान**)... लोक सभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Not yielding. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* No; he is not yielding. *...(Interruptions)...*

श्री अमित शाह: मान्यवर, लोक सभा चुनाव में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जागरूकता थी। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावा बाँटने गई, तो वह एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया। उसने उसको खोला, तो वह पूरा कोरा था। ...(**व्यवधान**)... अंदर कुछ लिखा ही नहीं था। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, उसमें Preamble भी नहीं था। ...(**व्यवधान**)... इतना बड़ा छल! ...(**व्यवधान**)... मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मैंने अपने जीवन में न तो देखा है और न ही जाना है। ये कारण ढूंढ़ते हैं कि ये क्यों हारे। मैं बता दूँ, आप कारण मत ढूंढ़िए, कमिटी की जरूरत नहीं है। ये लोग संविधान और आरक्षण-आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि ये फर्जी संविधान लेकर घूमते हैं, इसीलिए लोगों ने इन्हें हरा दिया। मान्यवर, ये जो प्रति लेकर घूमते हैं, उसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है, वह एक बार हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। ये जो प्रति लेकर घूमते हैं न, उसकी प्रस्तावना में यह लिखा है।

माननीय सभापति महोदय, संविधान कैसे तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, मैं इसके भी दो उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी सेना के जवान, सुरक्षा बलों के जवान हमारी मातृभूमि की एक इंच भूमि पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक इंच भूमि के लिए सैकड़ों-हजारों लोग शहीद हुए। मान्यवर, यदि किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल वन अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल वन में हमारे भू-भाग की व्याख्या की गई है। इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक कच्चाथीवु नामक टापू था। वह टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट के द्वारा one fine morning श्रीलंका को दे दिया गया। चलो भाई, आपका बहुमत था। मान लो, इस भरोसे से ऐसा किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी इस आर्टिकल वन का बदलाव आज तक नहीं आया है और हमारा वह भू-भाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा नहीं किया गया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता हैं। 35A को Constitution order से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। वह दाखिल तो हो सकता है, परंतु Constitution order को दोनों सदनों की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए ली। मैं आज कांग्रेस के मित्रों, जो संविधान की दुहाई देते हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 35A लागू किया, तो उसके Constitution order पार्लियामेंट में डिबेट के लिए कब आया? कब मतदान हुआ? किसने पारित किया? पार्टी को तो आप निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी आपने निजी परिवार की जागीर समझ रखी थी। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, देश के दोनों सदनों के साथ इतना बड़ा छल किया गया। संविधान में एक पूरा 35A डाल दिया गया और पार्लियामेंट के पास वह सब्जेक्ट ही नहीं आया! देश का भू-भाग दे दिया, परंतु पार्लियामेंट के पास वह विषय ही नहीं आया! आपने किस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से आपने देश को चलाया है, देश की जनता को आज इस बहस से यह मालूम पड़ना चाहिए।

मान्यवर, अभी दोनों सदनों के कांग्रेस के मेरे साथी सदस्य आपातकाल के बारे में बड़ी-बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कर रहे थे। जब यंग सदस्य ऐसा करें, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद उन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे, वे भी ऐसा कर रहे थे। मान्यवर, किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? आपातकाल में क्या हुआ था? तब लाखों लोग कोई अपराध किए बगैर जेलों में ठूँस दिए गए। कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज जो इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वे भी कुछ नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप, इंडियन एक्सप्रेस ने एक भी शब्द लिखे बगैर कोरा सम्पादकीय प्रकाशित किया, क्योंकि लिख नहीं सकते थे, श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया, इस तरह से विरोध किया और मान्यवर, तय हो गया कि एक व्यक्ति कहेगी, वही कानून होगा। वह क्यों किया? क्या देश पर आक्रमण हुआ था, क्या देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी? मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाली थी, चुनाव नहीं कराना था। मान्यवर, जब इसको चैलेंज किया गया, सर्वोच्च अदालत में जब इस पर चर्चा हुई, तब उन्होंने निरेन डे से पूछा कि क्या आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा, यस सर। महोदय, किसी भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। एक यस सर कहने पर निरेन डे 11 साल तक एटॉर्नी जनरल रहे। मान्यवर, जो डी.ओ. ड्राफ्ट होता है, वह कैबिनेट में मंत्रालय से आता है। कैबिनेट में, मंत्रालय में डी.ओ. ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है, वह कैबिनेट में मंत्रालय के through जाता है। मगर आज कैबिनेट का मंत्रालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मान्यवर, मैं तो छोटा था, इसलिए मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती, तो मेरा भी सौभाग्य होता, मैं इसके विरोध में पूरे 19 महीने जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे हुई? मैं बिनाका गीतमाला सुनता था। अचानक बिनाका गीतमाला बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बिनाका गीतमाला क्यों नहीं आती है? मेरे पड़ोस वाले चाचा जी ने कहा कि किशोर कुमार जी के साथ इंदिरा गांधी जी का झगड़ा हो गया है, बिनाका गीतमाला में किशोर कुमार जी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के duet गीत भी लता दीदी की आवाज़ में ही पूरे देश ने 19 महीने सुने। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मान्यवर, देश की जनता ने उनको ऐसा दंड दिया कि वे अब स्वप्न में भी इस प्रकार की कृत्य नहीं कर सकते हैं। ऐसी कृत्य कोई न करे, इसलिए यह बहस ज़रूरी है।

मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की बात रखी, तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि संविधान दिवस की क्या ज़रूरत है, 26

जनवरी तो मनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप संविधान का जितनी बार भी स्मरण करेंगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़ होगी। मान्यवर, इसलिए नरेन्द्र मोदी जी संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं।

मान्यवर, आज ही मुझे किसी शायर ने इमरजेंसी के ऊपर दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति भेजी है। मैं इमरजेंसी पर ज्यादा भाषण नहीं करना चाहता, परंतु मैं दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति ज़रूर कहना चाहूंगा-

"एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है,
आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है।
कल नुमाइश में मिला वह चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए,
मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान हूं।।"

मान्यवर, यह दुष्यंत कुमार जी की कविता है, इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। महोदय, जब संविधान बन रहा था, तब संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आज़ाद हो गए थे। आज़ाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं था, हम तो हज़ारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश हैं। हां, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गया था। आजादी मिली और आगे देश कैसे चले, इसका एक डॉक्यूमेट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट की चर्चा में आया कि देश का नाम क्या होगा? अंग्रेज इंडिया लिखकर गए थे, क्योंकि वे भारत को जानते नहीं थे। यूरोप में जो प्रचलन में शब्द होंगे, वह शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए, तब इस पर चर्चा हुई। उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंद दास ने दरख्वास्त की कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि और पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए, जिसकी वजह से देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा और भारत भी रहा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। यह नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्में से भारत को देखोगे, तो भारत समझ में नहीं आएगा और पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है। इसलिए रखा है, क्योंकि उसी सोच से चलना है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ-साथ विरासत को भी अपनाकर आगे बढ़ना है। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, सार्वभौमिक मुल्क हैं, किसी की परम्परा हमें स्वीकार नहीं। परम्परा बदलनी है, तो हम बदलेंगे। नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परम्पराओं पर हमें शर्म नहीं है। मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने क्या किया? राजपथ, जिसका नाम अंग्रेज सम्राट के सम्मान में रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति को हटा दिया। वहां स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा दी। मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो वे देकर गए थे, वह ही चल रहा था, हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का चिन्ह नेवी को दिया। हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरववर्ष के रूप में मनाया। हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया। संसद के अंदर राजा जी ने जो उद्दात

भावनाएं व्यक्त की थीं, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया, नरेन्द्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्थापित किया। नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे, उन 345 आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियों को वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। पूरा देश अंग्रेजी में चले, इतने सालों तक ऐसा षडयंत्र चला, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमनें कम्प्लसरी कर दिया कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में होगी।

महोदय, मातृभाषा में आईएएस, आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, लेकिन हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे। आप जिनके साथ बैठे हैं, उनके शासन में तमिल में आईएएस, आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे, लेकिन आज तमिल मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। यह व्यवस्था हमने की। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों का नाम अंग्रेजों ने रखा था। सुभाष बाबू ने जब अंडमान और निकोबार जीता, तब उन्होंने नामकरण किया था। उन्होंने शहीद और स्वराज नामकरण दिया था, लेकिन उसको भुला दिया गया। आज़ादी के बाद फिर से अंग्रेजों के नाम वापस लाए। नया न रखो, कोई बात नहीं - सुभाष बाबू ने रखा, उसको निकाल दिया, लेकिन हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज, दोनों नाम वापस लाने का काम किया। लुटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग किया। डलहौजी रोड का नाम, दारा शिकोह रोड के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह, बहीखाता लेकर, आज जब बजट पर भाषण देती हैं, तब पूरे देश की भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद मिलता है।

मान्यवर, हमने 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करने का काम किया, लेकिन इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावा कुछ नहीं किया। हजारों जगहों पर गांधी, नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे, और किसी का नाम नहीं है। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया।

मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेन्द्र मोदी जी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने, हमने उन सभी प्रधानमंत्रियों के जीवनकाल को दिखाने का काम किया, लेकिन पहले वहां सिर्फ जवाहरलाल जी का म्यूजियम था। हमने जी*20* की अध्यक्षता की और भारतीय, सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को भी प्रोत्साहित किया। महोदय, राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी, उज्जैन, शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। महोदय, हम पीछे नहीं गए। वे मानते थे कि पीछे चले जाओगे, हम पीछे नहीं गए, पीछे तो आप छोड़कर गए थे। आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11वें पर लाए, फिर 11वें से नीचे नहीं गए - देश पर बड़ा उपकार किया, मोदी जी 11 वें से 5वें नंबर पर लाए और 2027 में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

मान्यवर, अभी-अभी कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने का फार्मूला दिखाई पड़ गया है। वे आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण कहते हैं। महोदय, आरक्षण कोई आज की कल्पना नहीं है, यह कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। आर्टिकल 15 और 16 में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने का प्रोविजन किया गया था। मान्यवर, यह मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है, लेकिन ये इतनी जोर से आरक्षण-आरक्षण-आरक्षण कहकर, छाती चौड़ी करके

चिल्लाते हैं, पर आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी मानी जाती है। इनका कहना और करना दोनों अलग हैं।

मान्यवर, मैं अंत में आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्‌गार बताऊंगा। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1953 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसकी रिपोर्ट कहां है? मैंने दोनों सदनों के रिकॉर्ड पर ढूंढ़ा, लेकिन यह कहीं नहीं है, इसे भुला दिया गया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलना था। ...(**व्यवधान**)... बैठिए। आप बैठिए, मैं प्रक्रिया बताता हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः आप अर्धसत्य बोलते हैं।

श्री अमित शाहः मैं अर्धसत्य नहीं बोलता हूं।...(**व्यवधान**)... एक सेकंड, आप सुनिए।

डा. सैयद नासिर हुसैनः कुछ छिपाया नहीं है।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाहः छिपा कैसे सकते हो, यह बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आती है, ...(**व्यवधान**)... सुनिए, जब कोई भी रिपोर्ट आती है, तो उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है, फिर इस पर जो कार्यवाही की गई, वह भी उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः संसद की लाइब्रेरी में रखी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाहः ये सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह, पुस्तकालय में रख दी। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण लाइब्रेरी में रख दिया।

मान्यवर, अगर काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई होती, तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यह कमीशन ही इसलिए बनाया गया था, क्योंकि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट स्वीकारी नहीं और 1980 में मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन किसी ने इस पर अमल नहीं किया। इस पर अमल कब हुआ? जब 1990 में इनकी सरकार गई, तब अमल हुआ। मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ...(**व्यवधान**)... जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राजीव गाँधी जी थे। मैंने राजीव गाँधी जी के सभी भाषणों को खंगाला, उन्होंने सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध करने के लिए दिया है। इन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार हैं! मान्यवर, राजीव गाँधी जी की स्पीच भी लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। जयराम जी, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लोकसभा की स्पीच निकलवाकर नहीं पढ़ते हैं? एक बार पढ़ लीजिएगा।

मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने क्या किया? नरेन्द्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को मान्यता दी, पिछड़े वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, जेईई में ओबीसीज़ को आरक्षण दिया। इन्होंने क्या किया? मान्यवर, यह नेहरू जी, इन्दिरा जी से लेकर अब तक चलता रहता है। इन्होंने क्या किया

£ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। महोदय, यह क्यों बढ़ाना है, मैं यह बताना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मान्यवर, £ नहीं असत्य बोलिए। £ की जगह असत्य बोलिए।

श्री अमित शाहः मान्यवर, चलिए, खरगे जी की बात को स्वीकार कर लेता हूँ। उन्होंने £ नहीं बोला, वे सत्य से परे बोले हैं। यह नहीं बोलना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि देश के दो राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण अस्तित्व में है। यह गैर-संवैधानिक है। आप आरक्षण का प्रावधान करने वाली संविधान सभा की कोई भी डिबेट पढ़ लीजिए, उनमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर होगा। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, जब दोनों राज्यों में काँग्रेस की सरकार थी, तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता था, क्योंकि 50 प्रतिशत की सीमा है। ...(**व्यवधान**)... वे ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं, बल्कि 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। मैं आज फिर एक बार इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब तक दोनों सदनों में भाजपा का एक भी सदस्य है, तब तक हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं आने देंगे। ...(**व्यवधान**)... ये संविधान विरोधी है।

श्री जयराम रमेशः सर, काँग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है।

श्री अमित शाहः दिया है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इससे तो ये बच जाएंगे, मगर जो संविधान सभा की चर्चा का रिकॉर्ड है, मैं उसमें से कुछ क्वोट करना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा - "मैं यह देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूँ कि नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को कितनी दूर तक ले जा रहे हैं", मतलब कितना बढ़ा रहे हैं। "मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल अच्छा है। ऐसा लगता है कि मुदलियार और ब्राह्मणों के सिवा लगभग सभी जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर देंगे।" मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे - "मैं इस बात से चिंतित हूँ कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है।" "इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी।"...(**व्यवधान**)...मान्यवर, यही इनके विचार हैं, जो आज तक नहीं बदले हैं। मगर अभी जोर से बोलना - एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, यह गलती हो गई थी - असत्य बोलना और सार्वजनिक रूप से बोलना, इस सिद्धांत को कुछ नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। ...(**व्यवधान**)...

£ Expunged as ordered by the Chair.

मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग चार के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है, जो कॉमन सिविल कोड, यूसीसी की बात करती है, क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथनिरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, यह यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में पूछना चाहता हूं कि क्या पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। ...(**व्यवधान**)... क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता है। ...(**व्यवधान**)... इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**)... ये हिंदू कोड बिल भी लाए। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लीजिए। हम तो नहीं चाहते हैं कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मगर हिंदू कोड बिल में पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खरगे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ का अधिकार मिले, तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। आप यह बताइए कि क्रिमिनल लॉ में क्यों शरिया निकाल दिया? क्या कोई चोरी करे, तो इसके हाथ काट दोगे? कोई महिला के साथ जघन्य अपराध करे, तो क्या पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, तो फिर क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं? अगर उनको देना ही है, तो पूरा ही दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टिकरण की शुरुआत है। यह आर्टिकल 14 और 15 का भंग है। यह अम्बेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामथ, इन सबने इसका विरोध किया है। 1973 से 2016 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों से किया है। आप नहीं ला सकते हैं, तुष्टिकरण से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः लाने से रोकता कौन है?

श्री अमित शाहः बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूसीसी लाई। मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी को कह रहा हूं, वे कहते हैं कि कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। मैं इसका कारण बताऊं, आपको सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी और धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे। कुछ सजेशंस आएंगे, तो उनको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। यह आज तक नहीं मिला, तो वह भी कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण नीति थी।

मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है - अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते, तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता! अच्छी बात है। ...(**व्यवधान**)... सुनिए तो, सुनिए न। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए न, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। अम्बेडकर जी का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच्चे अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, यह मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वे छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। डा. बी.सी. रॉय ने एक पत्र लिखा कि अम्बेडकर जी और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे, तो क्या होगा? तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है कि राजा जी के जाने से तो थोड़ा-बहुत नुकसान होगा, लेकिन अम्बेडकर जी के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, यह विचार है। जो खरगे जी कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है, तो जिसका विरोध करते हो, उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है! चूंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर-अम्बेडकर कर रहे हैं। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि महू में अम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए, जो अम्बेडकर जी का जन्म स्थान था। उन्होंने सुझाव लिखा। उन्होंने कहा, "आम तौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है, तो वह उचित नहीं होगा।" उनके कितने स्मारक बने? अम्बेडकर जी का कोई स्मारक नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब महू में डा. अम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना; लंदन में वे अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना; नागपुर में दीक्षा ली, वहां स्मारक बना; दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने महामानव के पांच तीर्थ बनाए। ...(**व्यवधान**)... मैं मानता हूं ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं मानता हूं कि अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। हमने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री अमित शाह: मान्यवर, 370 पर कई बार, बार-बार चर्चा हुई है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेंपररी प्रोविजन को अनौरस संतान की तरह कांग्रेस ने अपनी गोद में 70 साल तक खिलाने का काम किया। 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। जब देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधान मंत्री बने, तो एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35ए को समाप्त किया गया। ...(**व्यवधान**)... ये इसी सदन में कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएँगी। खून की नदियाँ छोड़ो, कंकड़ चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? आजादी के बाद पहली बार 35,000 पंचायतों के सदस्य चुनकर आए, 1 वर्ष में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए, पत्थरबाजी शून्य हो गई, आतंकवादी घटनाएँ 92

प्रतिशत कम हो गईं, area domination बढ़ा, 31 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है, 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला, पहाड़ी, गुर्जर, बक्करवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला, घाटी के हर घर में 'हर घर तिरंगा' अभियान भी चला, श्रीनगर में Formula-4 car racing हुई, लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है, दुनिया का सबसे ऊँचा railway arch bridge आज चिनाब नदी पर बन रहा है, सबसे लंबी transport tunnel पीर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर देश के सभी UTs में नंबर वन पर आया है।

मान्यवर, पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को 80,000 करोड़ रुपये दिये गये और आज 1 लाख, 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। मान्यवर, धारा 370 के रहते 70 सालों में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश आया था, लेकिन अब 5 साल के अंदर 1 लाख, 19 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। ...(**व्यवधान**)... G-20 के delegates भी वहाँ गए, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्षों के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम हुआ है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ये कहते हैं कि धारा 370 हटाने से क्या हुआ? मैं बताता हूँ। आपकी तुष्टिकरण की दुकान बंद हो गई है। ...(**व्यवधान**)... तुष्टिकरण बंद हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, वह मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूँ। पहला मामला 1973 में आया, जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन, Judicial Review को लेकर संघर्ष हुआ, तब उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद केशवानंद भारती ने फिर से इसको restore किया। फैसले से नाराज होकर - फैसला तो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है। हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको मानना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, परंतु कांग्रेस ने क्या किया? 3 वरिष्ठ न्यायाधीश – जस्टिस जे.एम. शेलत, जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, तीनों को प्रमोशन से महरूम करके, उनको सजा देकर, चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम किया, जिसके कारण इन तीन सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए, संविधान की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देकर घर जाना पसंद किया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इन्होंने यह काम किया है। दूसरा मामला 1976 में आया। वह एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का था। ...(**व्यवधान**)... यह बात बार-बार दोहरानी चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट लेना चाहिए, जिससे कोई इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं कर सके। ...(**व्यवधान**)... यह हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, एडीएम जबलपुर, बेचारे जस्टिस खन्ना ने तीन के विरुद्ध एक लघुमति फैसला दिया। इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, वे कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। वे रिटायर हो गए। यह एडीएम, जबलपुर का मामला है। उसके बाद तीसरा मामला यह है कि इन्होंने एक साथ 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिनमें चार मुख्य न्यायाधीश भी थे। इसका कारण क्या था? ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई कदाचार था, कोई भ्रष्टाचार था? नहीं, नहीं, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण, मतलब Habeas Corpus को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक

अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे Habeas Corpus को एंटरटेन किया जा सकता है, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया।

मान्यवर, आर्टिकल 14 और 21 की सेंस को निकालें, तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हमारा संविधान कम्युनिस्ट सोच से नहीं बना है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत उसके भाग्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता। मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि उनको बेसिक सुविधाएँ मिल सकें। उनको घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। इस देश की जनता को 75 साल तक 'गरीबी हटाओ' का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीब रखा था। मान्यवर, 10 साल में नरेन्द्र मोदी जी ने 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देकर उनके घर तक गैस को पहुंचाया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 12.65 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा, 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.40 लाख करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुए, 36 करोड़ 'आयुष्मान भारत' के कार्ड बने और 8.19 करोड़ दर्दियों ने उसके माध्यम से मुफ्त में अपना इलाज कराया है। मान्यवर, अब 70 साल से अधिक का व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आय वर्ग का हो, उसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने फ्री कर दिया है। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' दिया, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया, 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से गई है, 11,000 करोड़ रुपए एक करोड़ लाभार्थी रेहड़ी पटरी वालों को दिये गये और सबसे बड़ी बात, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। मान्यवर, विश्वकर्माओं के लिए भी काम किया।

मान्यवर, मैं यह बात बहुत संवेदनशील होकर सदन के सामने रखता हूँ। लोक सभा में चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने वीर सावरकर जी के लिए जो उद्गार निकले, मैं तो उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर, सावरकर जी के साथ जो 'वीर' लगा है, वह कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि उनके साथ 'वीर' उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने दिया है। मान्यवर, ऐसे उत्कृष्ट देशभक्त के लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होती है। उनके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से असत्य फैलाया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ कि 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में दो आजीवन कारावास हुए हैं, तो वह वीर सावरकर जी को हुए हैं। देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़ कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसी में था, तो वह वीर सावरकर जी में था।

8.00 **P.M.**

एक ही जेल में दो भाई कालेपानी की सजा काट रहे थे, लेकिन 10 साल तक दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को नहीं देखा, ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं है। मान्यवर, मैं आज यहां पर सावरकर जी की एक उक्ति कहना चाहता हूँ। उनका मराठी में एक वाक्य है - *"तुजसाठी मरण ते जनन, तुजविण जनन ते मरण।"* इसका अर्थ है - हे मातृभूमि, तेरे लिए मृत्यु ही जीवन है और तेरे

बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन है। देशभक्ति का यह वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, उसके लिए सदन में ये इस प्रकार की चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं! क्या देशभक्ति किसी विचारधारा के साथ जुड़ी हो सकती है? क्या देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? मान्यवर, हम देश के सार्वजनिक जीवन को आज किस प्रकार के स्तर पर ले गए हैं? आप हमारी न मानें, हमारी न सुनें। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए। आप हमारी न मानें, हमारी न सुनें, हमको न स्वीकारें, मगर मैं इंदिरा जी के दो वाक्यों को यहाँ क्वोट करना चाहता हूँ। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा था, "सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया।" यह तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा है। दूसरा, उन्होंने श्री बाखले को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, "आपका पत्र मुझे मिला। वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि-कोटि शुभकामनाएँ देती हूँ। - प्रधान मंत्री।" आप हमारी न सुनें, मगर आप इंदिरा जी की भी नहीं सुनते हैं! ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाहः नहीं सर, बीच में जगह नहीं होती है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री अमित शाहः मान्यवर, आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर की अलग-अलग पोलिटिकल पार्टीज़, अलग-अलग विचारधारा और अलग-अलग धर्म के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है, वह वीर होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो; जो देशभक्त होता है, वह देशभक्त होता है, चाहे वह किसी भी विचारधारा का हो और जो बलिदान देता है, वह बलिदान ही देता है, चाहे उसने किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, यह बहुत ही नीचा विचार है। यह एक स्तर से नीचा विचार है। मैं चाहता हूँ कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार की चीजों का जवाब मांगना शुरू करे।

मान्यवर, अगर आप हमारे संविधान के हर आर्टिकल का अर्थ निकालेंगे, तो आप कहीं न कहीं इसी ओर जाएंगे कि हमारे संविधान ने तीन चीजों को स्वीकार नहीं किया है। चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, इसलिए परिवारवाद नहीं होना चाहिए, हम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इसलिए तुष्टिकरण नहीं होनी चाहिए और हम जनकल्याणकारी राज्य हैं, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार यह लगता था कि आखिर कांग्रेस पार्टी संविधान का सम्मान क्यों नहीं करती है, लेकिन जब मैंने ये तीन शब्द पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वे संविधान की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो उनको तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा, जिनके बगैर उनका अस्तित्व ही नहीं है। परंतु, एक व्यक्ति गरीब के घर से जन्म लेकर आता है,

चाय बेचने वाला बेटा, जिसकी सात पुश्तों में न कोई आगे राजनीति में है, न कोई पीछे है। मान्यवर, वह एक गरीब है और तुष्टिकरण को नहीं मानता है। ऐसे आदमी 2014 में जब देश के प्रधान मंत्री बने, तो इन्होंने देश की राजनीति को तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नासूर से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। मुझे किसी ने कहा कि अभी-अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी आत्म निरीक्षण के लिए एक कमिटी बना रही है। कोई कमिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरा अच्छा खासा अनुभव है, आप तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता आपको चुनकर ला देगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।

मान्यवर, अभी ये One Nation One Election का विरोध कर रहे थे। मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि समिति ने सीज़ किया है। अगर विरोध करते हैं, तो इसके तर्क रखने चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपको बात कहने आया हूं।

श्री जयराम रमेशः सर, क्रिकेट के बारे में बोलिए।

श्री अमित शाहः अभी मैंने कुछ समय में मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने हैं। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी – मैंने उनके बहुत भाषण सुने हैं। मेरा उनको कहना है कि मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज़ नहीं है, मोहब्बत प्रचार की चीज़ नहीं है, मोहब्बत दिल में बसाने का जज़्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है, अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं होगी।

मान्यवर, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से एक well-designed manner में मनाने का निर्णय किया, पूरे देश में लाखों कार्यक्रम हुए। इसका meaning निकालते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, तो तीन उद्देश्य सामने आते हैं। बच्चे, युवा और जनता को आज़ादी के 90 वर्ष लम्बे आज़ादी के संग्राम के इतिहास की जानकारी देना, आज़ादी के गुमनाम सेना नायकों का नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को परिचय कराना, 75 साल में हमने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसका गौरव 140 करोड़ भारतीयों के मन में उत्पन्न करना और जब आज़ादी के 100 साल हो जाएं, तब यह देश पूरे संसार में हर क्षेत्र में नंबर वन पर हो, ऐसे महान भारत की रचना करना। यह संकल्प अब सिर्फ श्री नरेन्द्र मोदी जी का नहीं रहा है, यह संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प हो गया है। जब भी मैं जनता के बीच में जाता हूं, तो इसको महसूस भी करता हूं।

मान्यवर, आज नरेन्द्र मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना की है। अमृत महोत्सव की समाप्ति से शताब्दी तक हम दुनिया में हर एक क्षेत्र में एक नंबर पर हों, भारत विकसित हो हमारा गौरववान स्थान हो, तब मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद और विवेकानंद जी ने जो कल्पना की थी कि भारत माता अपने संपूर्ण दैदीप्यमान स्वरूप के साथ दुनिया के सामने खड़ी होगी और दुनिया की आंखें भारत माता के तेज से चकाचौंध हो जाएंगी। यह स्वप्न सच होगा, इसका मुझे विश्वास है। स्वप्न सच करने एक मात्र रास्ता हमारा संविधान है और इसमें छेड़खानी करने का साहस किसी का ना हो, वह जनता को सुनिश्चित करना है। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 18th December, 2024.

The House then adjourned at nine minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 18th December, 2024.